बिहार सरकार
वित्त विभाग

का0आ0संख्या : 02/अरा0स्था0–18–28/2025 – **344** दिनांक : **26.09.2025**

कार्यालय आदेश

अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 में निहित शर्तों के अधीन विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में विभाग के नियमित स्थापना में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित निम्न वर्गीय लिपिकों को संवर्ग की प्रोन्नति के पदसोपान में उच्च वर्गीय लिपिक के उच्चतर पद का, विहित वेतनमान (वेतन स्तर–4) सहित, कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :–

क्र0	नाम	वर्तमान धारित पद	वर्तमान पदस्थापन / वरीयता क्रमांक
1	2	3	4
1.	श्री वरूण कुमार	निम्न वर्गीय लिपिक	वित्त विभाग / 09 / 2024
2.	श्री शक्ति नाथ	निम्न वर्गीय लिपिक	वित्त विभाग / 10 / 2024
3.	श्री रिक्की कुमार	निम्न वर्गीय लिपिक	वित्त विभाग / 11 / 2024
4.	श्री अमीत कुमार	निम्न वर्गीय लिपिक	वित्त विभाग / 12 / 2024
5.	श्री रवि कुमार	निम्न वर्गीय लिपिक	वित्त विभाग / 13 / 2024
6.	श्रीमती प्रिया कुमारी	निम्न वर्गीय लिपिक	वित्त विभाग / 14 / 2024
7.	श्रीमती अनुराधा राय	निम्न वर्गीय लिपिक	वित्त विभाग / 15 / 2024
8.	श्री सुनील कुमार	निम्न वर्गीय लिपिक	वित्त विभाग / 16 / 2024

2. यह कार्यकारी उच्चतर प्रभार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–7433 दिनांक–05.06.2018 की कंडिका–3(5) में निहित प्रावधान के तहत उक्त विभाग के पत्रांक–17906 दिनांक–19.09.2025 द्वारा आवश्यक न्यूनतम कालावधि को रिक्ति प्रतिशत के अनुरूप 03 वर्ष 06 माह (अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक) क्षान्त किये जाने के आलोक में प्रदान किया गया है।

3. कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ उक्त पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।

4. मौलिक नियमावली के नियम–22(I) ए (I) के आलोक में आदेश निर्गमन की तिथि से एक माह के अंदर उक्त कर्मियों द्वारा वेतन निर्धारण हेतु विकल्प का चयन अनुमान्य होगा।

5. नियमित प्रोन्नति की प्रक्रिया में अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत उच्चतर पद प्रभारित लोक सेवक किसी कारणवश प्रोन्नति प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे उच्चतर पद से उसके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, यद्यपि उच्चतर पर के आधार पर प्राप्त की गयी वेतन–भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की वसूली उनसे नहीं की जायेगी।

6. कार्यकारी व्यवस्था की यह प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880 / 2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य संवद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –

(राम चन्द्र मंडल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 02 / अरा0स्था0–18–28 / 2025...................... / वि0, दिनांक : ....

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 02 / अरा0स्था0–18–28 / 2025 10476 / वि0, दिनांक 26-09-2025

प्रतिलिपिः माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के आप्त सचिव / सचिव (संसाधन) के आप्त सचिव / सचिव (व्यय) के आप्त सचिव / संयुक्त आयुक्त (लेखा) / अवर सचिव, लेखा एवं प्रशाखा–02 / सिस्टम एनालिस्ट (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) / संबंधित सभी कर्मी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

RMandal
26/09/25

सरकार के अवर सचिव।